कार्यवाही/वाक्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 1941–एक / 14 जिला – देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, बागली जिला देवास के प्रकरण कमांक 4 / अ–13 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 11–6–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं । 2– उभपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण रास्ते का होकर अधीनस्थ न्यायालय ने स्थल निरीक्षण करके पड़ोसी कृषकों से भी जांच करने के उपरांत यह पाया कि रास्ता रोका गया है उन्होंने अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न होने से अंतरिम रास्ता प्रदान किया है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचना करते हुए जो आधार दिए हैं वह न्यायिक, समतामय उचित और विधिसम्मत हैं । इस कारण पुनरीक्षण में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–देवास R-1541-I/14

1. कलाबाई पति चेनाजी
2. चेनाजी पुत्र मदरूप बलाई निवासीगण ग्राम मानकुण्ड तहसील बागली टप्पा हाटपीपल्या जिला देवास म.प्र. .... आवेदकगण

विरूद्ध

बाला पिता भेराजी बलाई निवासी ग्राम मानकुण्ड तहसील बागली टप्पा हाटपीपल्या जिला देवास (म.प्र) ...... अनावेदक

कलाबाई आवेदिका द्वारा दिनांक 1-7-14 को प्रस्तुत। 1-7-14

न्यायालय तहसीलदार बागली द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–13/2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा तहसीलदार हाट पीपल्या के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 131 के तहत् इस आशय से प्रस्तुत किया कि पटवारी हल्का नं. 3 सर्वे नं. 1789 रकवा 0.03, सर्वे नं. 2497 रकवा 0.39 हैक्ट्यर तथा शासकीय पट्टे से प्राप्त सर्वे नं. 2496 रकवा 0.39 हैक्ट्यर राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी दर्ज है।
2. यहकि, अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि भूमि सर्वे नं. 1789, 2497 तथा 2496 में आने जाने बैलगाडी सामान टेक्टर आदि का एक मात्र रास्ता ग्राम मानकुण्ड से पूर्व दिशा में स्थित शासकीय आम रास्ता जो नदी तक जाता है। वहॉ से नदी पार से दक्षिण दिशा में आगे प्रभाकर जी की भूमि के पास से होकर आगे सरकारी भूमि में से होकर आगे चेनाजी की भूमि के पास से होकर कलाबाई की भूमि सर्वे नं. 2476 में होकर रहा है। जो आगे मदनलाल, आत्माराम, गंगाराम की भूमि से होकर उसकी भूमि सर्वे नं. 2497 में जाता है। यह एक मात्र रास्ता रहा है। और जब से उसके द्वारा भूमि सर्वे नं. 2497 को वर्ष 1989 में देवनारायण जी से क्रय की है। तब से ही रहा है इसी रास्ते से वह अपना सम्पूर्ण कृषि कार्य करता आ रहा है।
3. यहकि, कलाबाई द्वारा इस रास्ते को हाक जोत कर बंद कर दिया है, ओर मौके पर लडाई झगडा करने पर उतारू है, इसलिये उक्त रास्ता खुला करवाया जाये। ओर भविष्य में रास्ता बंद नहीं करें। इस हेतु जमानत